




## प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र

	<b>राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर</b> ई-प्रवेश पत्र (प्रोविजनल अनुमति एवं पात्रता की शर्त के अधीन)		रोल नंबर: 2331182	
	<b>परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा समय से 1 घंटे पूर्व तक ही प्रवेश अनुमत है।</b>		आवेदन आई.डी : 202434814824	
	लिंग	MALE	जन्मतिथि	15-May-1999

<b>परीक्षा का नाम : समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-2024</b> <b>COMMON ELIGIBILITY TEST (GRADUATE LEVEL)-2024</b>		
परीक्षार्थी का नाम	SUNIL	
पिता/पति का नाम	DHARA RAM	
श्रेणी एवं क्षेत्रीय श्रेणी	OBC	
पता	BERA- KANER District-PALI State-Rajasthan Pincode-306308	



## परीक्षा कार्यक्रम और केन्द्र का विवरण

परीक्षा की तिथि व समय	परीक्षा केन्द्र का जिला	परीक्षा केन्द्र कोड नं. एवं परीक्षा केन्द्र का नाम व पता
28-Sep-2024 (शनिवार ) अपराह्न 03:00 से 06:00 WRITTEN EXAMINATION	PALI	(26032) - SOORAJ SHIKSHAN SANTHAN SR. SEC. SCHOOL, PALI JCB WALI GALI, NAYA GAON, PALI, DIST/TEHSIL - PALI PIN_CODE - 306401
WRITTEN EXAMINATION	परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्टिंग का समय: 01:00 PM	परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश द्वार बंद होने का समय : 02:00 PM

## नोट :-

- परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 01 घंटे पहले तक ही परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति होगी। अर्थात् परीक्षा केन्द्र का प्रवेश द्वार ठीक 01 घंटे पूर्व बंद हो जायेगा, इसके पश्चात किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षा प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से 02 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित हो जावे ताकि Frisking/ Biometrics , Face Recognition द्वारा तलाशी एवं पहचान कार्य पूर्ण हो सके, देरी पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- परीक्षार्थी ई-प्रवेश पत्र की प्रविष्टियों को ध्यान पूर्वक देख लें यदि इनके बारे में कोई आपत्ति हो तो परीक्षा के पश्चात निर्धारित समयावधि में SSO के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वयं के स्तर पर सुधार कर लें। ऑफलाइन संशोधन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा।

परीक्षार्थियों को निर्देश पीछे अंकित है। कृपया किसी भी कदाचार में शामिल न हों,  
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है।

सचिव

P.T.O

परीक्षार्थियों के लिये आवश्यक निर्देश :-

- परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल के स्थान को पहले ही सत्यापित कर लें ताकि परीक्षा के दिन उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े और दिये हुए समय पर परीक्षा के लिये पहुँच जाएँ।
- किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र, वैध मूल आईडी प्रमाण और उचित तलाशी के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्र पर निम्न सामग्री लानी है:- ई-प्रवेश पत्र (QR code के साथ), (उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने हेतु) 2.5cm.X2.5cm. साइज का स्वयं का स्पष्ट नवीनतम रंगीन मूल Front photo (जो Merge, Morphed एवं Temper किया हुआ न हो तथा एक माह से अधिक पुराना न हो), नीले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन, पहचान हेतु एक मूल फोटोयुक्त पहचान प्रमाणपत्र - आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जावेगी, आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में ही पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, मतदाता पहचान-पत्र में से कोई एक से मिलान किया जावेगा। पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं है। पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने, गहन तलाशी के उपरान्त एवं निर्धारित ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षार्थी को केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा।
- परीक्षा केन्द्र के परिसर में नीली स्याही के पारदर्शी बॉल पेन के अलावा अन्य किसी प्रकार का पेन, पर्स, बैग, मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, किसी भी प्रकार की घड़ी, केलकुलेटर, लॉग टेबल, पेजर, संचार के कोई भी उपकरण, किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, व्हाइटनर, स्लाइड रूल, ज्यामेट्री बॉक्स और कोई भी पाठ्य सामग्री, नोट इत्यादि लाने की अनुमति नहीं है। केन्द्र पर इन्हें सुरक्षित रखने का दायित्व केन्द्राधीक्षक का नहीं होगा।
- परीक्षार्थियों के विस्तृत अनुदेश, ड्रेस कोड तथा विशेष योग्यजनों को श्रुतलेखक हेतु दिशा-निर्देश (संशोधित) विज्ञप्ति के अन्तर्गत बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अतः भली प्रकार अवलोकन कर अनिवार्य रूप से पालना सुनिश्चित करें।।
- परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर होने वाले भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों (अधिनियम की धारा 2(च) के अन्तर्गत यथा परिभाषित) में संलिप्तता पायी जाती है तो उनके विरुद्ध, राज0 सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम 2022 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2023 (संख्याक 17) के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से विवर्जित (Debar) भी किया जावेगा।
- किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा कक्ष/ हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ई-प्रवेश पत्र प्रोविजनल है, परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो जाना चाहिए।
- यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने कई आवेदन जमा किए हैं, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सभी भविष्य की परीक्षाओं से वंचित करने सहित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विभिन्न प्रकार के कदाचारों का पता लगाने के लिए कई आधुनिक तकनीकों को अभिनियोजित किया है:-
  - हम कदाचारों की पहचान करने के लिए एक तकनीक का उपयोग करते हैं। हम अभ्यर्थियों के द्वारा दिये गये उत्तरों के मध्य संदिग्ध समानता की पहचान करने के लिए प्रश्नों व उत्तरों के लॉग का विश्लेषण करते हैं। RSSB असामान्य उत्तर देने वाले व्यवहार की पहचान करने के लिए उम्मीदवारों के परीक्षा लॉग की भी समीक्षा करता है और ऐसे उम्मीदवारों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में कदाचार की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
  - उन छात्रों के उत्तर पत्रकों का विश्लेषण किया जाता है जिन्होंने अपने उत्तर अन्य उम्मीदवारों को दिए अथवा जिन्होंने ये उत्तर प्राप्त किए।
  - नकल की घटनाओं को उजागर करने के लिए परीक्षा के बाद भी नकल के व्यवहार को उजागर करने के लिए प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित टूल के माध्यम से संदिग्ध अभ्यर्थियों को पकड़ा जाता है।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से RSSB की वेबसाइट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) पर अपडेट देखते रहें। उन्हें परीक्षा के संबंध में नवीनतम अपडेट और जानकारी के लिए अपने पंजीकृत मेल पते पर अपना मेलबॉक्स और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी देखना चाहिए।
- यदि पेपर लीक संबंधित अथवा नकल संबंधित कोई सूचना हो तो राजस्थान पुलिस एसओजी के दूरभाष क्रमांक 9530429258 पर शीघ्र सूचित करें।
- किसी भी स्पष्टीकरण/सहायता के लिए आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हेल्पलाइन नंबर 91.141.2722520 - 2722521 पर कॉल कर सकते हैं।
- उपस्थिति पत्रक के प्रपत्र में प्रत्येक अभ्यर्थी को हिन्दी में दिये गये वाक्य को अपनी हेण्डराइटिंग में लिखकर हस्ताक्षर करने होंगे।
- प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न में पाँच विकल्प दिये गये हैं जिनमें से प्रथम चार विकल्पों में से उत्तर के लिए समुचित विकल्प चयन कर भरना होगा तथा प्रश्न का उत्तर न देने के लिए विकल्प E का चयन कर भरना आवश्यक होगा। सभी प्रश्नों में कोई एक विकल्प चयन कर भर लिया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में कोई एक विकल्प चयन कर नहीं भरने पर उसे परीक्षा के लिए अयोग्य किया जायेगा। इसके संबंध में निर्देश बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में उपलब्ध है।